

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1978/पौष 7, 1900
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 1978/PAUSA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1978

सा. का. नि. 507 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1978 है।
(2) ये 1 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 2 में, खण्ड (2) (क) में—
(क) उपखण्ड (1) में, "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों के पश्चात् "और
हरियाणा राज्य में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे,

(ख) उपखण्ड (न) में "हरियाणा" शब्द का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 208/78-क. उ. श. फा. सं. 202/11/78-क. उ. श. 6]

[सं. 208/78-क. उ. श.]

के. डी. तायल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL EXCISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 1978

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Central Excise (16th Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1979.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 2, in clause (ii)(A) —

(a) in sub-clause (i) after the words "Union Territory of Delhi", the words "and in the State of Haryana" shall be inserted;

(b) in sub-clause (i), the word "Haryana" shall be omitted.

[Notification No. 208/78-CE, F. No. 201/11/78-CE 6]

[No. 208/78-CE]

K. D. TAYAL, Under Secy.